केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 23353503, फैक्स : 23753923

याचिका सं. 247/टीएल/2022 दिनांक : 2.12.2022

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड (अब 'पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड' के नाम से जाना जाता है), बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण (बीओओटी) आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "नीमच एसईज़ेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" के लिए अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	नीमच पर 1x125 एमवीएआर बस रिएक्टर के साथ 2x500 एमवीए, 400/200 केवी पूलिंग स्टेशन (एआईएस) की स्थापना 400/200 केवी, 500 एमवीए आईसीटी-2 नंबर 400 केवी आईसीटी बे - 2 नंबर 220 केवी आईसीटी बे - 2 नंबर 400 केवी लाइन बे - 4 नंबर (चित्तौड़गढ़ एवं मंदसोर लाइनों के लिए प्रत्येक 2) 220 केवी लाइन बे - मैसर्स आरयूएमएसएल को प्रदान की गई 500 मेगावाट संयोजकता/एलटीए के तदनुरूप बे के 2 नंबर) 220 केवी बस कपलर बे - 1 नंबर # 220 केवी ट्रांसफर बस कपलर (टीबीसी) बे - 1 नंबर # 125 एमवीएआर, 420 केवी रिएक्टर - 1 नंबर 420 केवी रिएक्टर बे - 1 नंबर भावी प्रावधान: निम्नलिखित के लिए स्थान: बे के साथ 400/220 केवी आईसीटी: 2 नंबर 400 केवी लाइन बे: 6 नंबर 220 केवी लाइन बे: 5 नंबर बे के साथ 420 केवी बस रिएक्टर: 1	18 मास
2.	नीमच पीएस - चित्तौड़गढ़ (पीजी) सब-स्टेशन 400 केवी डी/सी लाइन (नॉमिनल वोल्टता पर 2100 एमवीए/सीकेटी की न्यूनतम क्षमता के साथ कंडक्टर)	
3.	नीमच पीएस - चित्तौड़गढ़ (पीजी) सब-स्टेशन 400 केवी डी/सी लाइन के लिए चित्तौड़गढ़ (पीजी) 400 केवी सब-स्टेशन पर 400 केवी लाइन बे के 2 नंबर (नॉमिनल वोल्टता पर 2100 एमवीए/सीकेटी की न्यूनतम क्षमता के साथ कंडक्टर)	
4.	नीमच पीएस - मंदसोर सब-स्टेशन 400 केवी डी/सी लाइन (नॉमिनल वोल्टता पर 2100 एमवीए/सीकेटी की न्यूनतम क्षमता के साथ कंडक्टर)	
5.	नीमच पीएस - मंदसोर सब-स्टेशन 400 केवी डी/सी लाइन के लिए मंदसोर 400 केवी सब-स्टेशन पर 400 केवी लाइन बे के 2 नंबर (नॉमिनल वोल्टता पर 2100 एमवीए/सीकेटी की न्यूनतम क्षमता के साथ कंडक्टर)	

बस स्विचिंग योजना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए

नोट :

i. नीमच पीएस-चित्तौड़गढ़ (पीजी) 400 केवी डी/सी लाइन के समापन के लिए चित्तौड़गढ़ (पीजी) 400 केवी सब-स्टेशन पर 400 केवी लाइन बे के 2 नंबर के लिए स्थान पावरग्रिड प्रदान करेगा।

ii. नीमच पीएस- मंदसोर 400 केवी डी/सी लाइन के समापन के लिए मंदसोर 400 केवी सब-स्टेशन पर 400 केवी लाइन बे के 2 नंबर के लिए स्थान एमपीपीटीसीएल प्रदान करेगा।"

2. आवेदक का चयन, अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार आरईसी पावर डेवलेपमेंट एंड कंसलटेंसी लिमिटेड द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर रु. 783.78 मिलियन के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों सहित सेवा-प्रदायक के रूप में किया गया है।

3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 28.9.2022 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए संस्तुत किया है।

4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 247/टीएल/2022 में दिनांक 1.12.2022 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोलिखित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने को प्रस्तावित किया है।

5. नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 18.12.2022 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. आयोग द्वारा दिनांक 22.12.2022 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

ह0/-

(हरप्रीत सिंह प्रुथी)

सचिव